[2022] 3 एस. सी. आर 1081

एम/एस। श्री सूर्या विकासकर्ता और प्रवर्तक

बनाम.

एन. शैलेश प्रसाद और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 439)

फरवरी 09,2022

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 XXIII नियम.3A-एक अलग मुकदमा स्थापित करके डिक्री से समझौता करने की चुनौती की रखरखाव क्षमता - आयोजित किया गयाः Order.XXIII नियम.3A में कहा गया है कि कोई भी मुकदमा इस आधार पर एक डिक्री को अलग करने के लिए गलत नहीं होगा कि समझौता जिस पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था-समझौते पर आधारित सहमति डिक्री को चुनौती देने वाली एक पार्टी को उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता दर्ज किया था और सहमति डिक्री को चुनौती देने वाले एक अलग मुकदमे की संस्था बनाए रखने योग्य नहीं है - वादी का यह निवेदन कि वाद में उसने समझौता डिक्री को अपास्त करने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना नहीं की है, बल्कि यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि समझौता डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है, स्वीकार्य नहीं है - केवल चतुराई से मसौदा तैयार करने से वादी को मुकदमे को बनाए रखने योग्य बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी जो अन्यथा कानून द्वारा वर्जित है-डिक्री-समझौता डिक्री।

अपीलों को अनुमति देते हुए,

न्यायालय ने कहाः 1. आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के पठन से पता चलता है कि कोई भी मुकदमा इस आधार पर एक डिक्री को दरकिनार करने के लिए नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था। [पैरा 8][1090-सी]

2. ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया कि समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए मांगी गई राहत के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा। अब, जहाँ तक वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि वाद में वादी ने समझौता डिक्री को अलग करने के लिए विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया है और जो प्रार्थना की गई है वह यह घोषणा करना है कि समझौता डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है और अन्य राहतों के लिए मांगी गई है, मुकदमा वर्जित नहीं होगा और फिर भी मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1977 से निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल एक मसौदा वादी को वाद को बनाए रखने योग्य बनाने की अनुमति नहीं देगा जो अन्यथा बनाए रखने योग्य और/या कानून द्वारा वर्जित नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो न्यायालय इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देगा ताकि फर्जी मुकदमेबाजी शुरुआती चरण में समाप्त हो जाए। [पैरा 9,10,10.1][1095-F-H; 1096-A-B]

3. स्वामित्व की घोषणा, कब्जा की वसूली, उपहार विलेख के निरसन को रद्द करने की राहतों को ध्यान में रखते हुए, उक्त राहत केवल तभी दी जा सकती है जब समझौता डिक्री दिनांक 13.01.2016 ओ.एस में पारित हो। 2015 का क्रमांक.1750 अलग रखा गया है। इसलिए, इस तरह के कई राहतों को पूछकर, वादी चतुराई से मसौदा तैयार करके अपने मुकदमे को बनाए रखने योग्य बनाना चाहता है, जो अन्यथा समझौता डिक्री पर सवाल उठाने योग्य नहीं होगा। सभी उक्त राहत पहले के मुकदमों के विषय थे और उसके बाद भी ओ.एस के विषय थे। 2015 का सं. 1750 जिसमें समझौता डिक्री पारित किया गया है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्तमान रूप में और मांगी गई राहतों के लिए वाद को आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के तहत वर्जित किया जाएगा और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने समझौता डिक्री की वैधता के गुणागुण में इस आधार पर प्रवेश करके उक्त आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की है कि यह आदेश XXXII नियम 7 सीपीसी द्वारा प्रभावित था, जो आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के इस

चरण में अनुज्ञेय नहीं था और एकमात्र मुद्दा जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता थी वह यह था कि समझौता डिक्री को चुनौती देने वाला मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा या नहीं। [पैरा 11][1096-G-H; 1097-A-C]

आर. जानकीम्मल बनाम एस. के. कुमारस्वामी, (2021) 9 एस. सी. सी. 114; टी. अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल और अन्न। , (1977) 4 एस. सी. सी. 467 [1978] 1 एस. सी. आर. 742; राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत महल कलां, (1986) 4 एस. सी. सी. 364: [1986] 3 एस. सी. आर. 831 के आलेख मे I

बनवारी लाल बनाम चंदो देवी, (1993) 1 एस. सी. सी. 581: [1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 524; पुष्प देवी भगत बनाम। राजिंदर सिंह और अन्य। , (2006) 5 एससीसी 566: [2006] 3 पूरक। एससीआर एम/ 370 ; होरिल वी. केशव, (2012) 5 एससीसी 525: [2012] 3 एससीआर 1 ; आर. राजन्ना बनाम एस. आर. वेंकटस्वामी और अन्य। , (2014) 1 [2017] 5 एस. सी. आर. 294; केनरा बैंक बनाम पी. सेलथल और ओआरएस। , (2020) 13 एस. सी. सी. 143; राघवेंद्र शरण सिंह बनाम वी. राम प्रसन्ना सिंह (2020) 16 एस. सी. सी. 601: [2019] 4 एस. सी. आर. 1069; राम सिंह बनाम। ग्राम पंचायत महल कलां, (1986) 4 एस. सी. सी. 364 [1986] 3 एस. सी. आर. 831 संदर्भित।

संदर्भित मामला

[1992] 3 पूरक। एससीआर 524	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 3.2**
[2006] 3 पूरक। एससीआर 370	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 3.2**
[2012] 3 एससीआर 1	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 3.2**
[2014] 14 एससीआर 535	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 3.2**
(2021) 9 एससीसी 11	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 3.2**
[1978] 1 एससीआर 742	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 3.4**

[2017] 5 एससीआर-294	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 3.4**
[2019] 4 एससीआर 1069	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 3.4**
[1978] 1 एससीआर 742	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 10.2**
[1986] 3 एससीआर 831	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 10.3**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2022 का 439

2019 के अपील सूट संख्या 454 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.10.2019 से। सिविल अपील सं. 2022 का 440-441। मुकूल रोहतगी, बी. आदिनारायण, सीनियर. अधिवक्ता, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, उदय भास्कर, कृष्ण कुमार सिंह, तुषार गुप्ता, मेसर्स लॉयर्स निट एंड कंपनी, संतोष कृष्णन, सिद्धांत बक्सी, सुश्री कांति, बी. श्रवण शंकर, डी. रामकृष्ण रेड्डी, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. एसएचएएच, जे.

1.2019 के अपील सूट संख्या 454 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यहां दी गई उक्त अपील को अनुमति दी है-मूल वादी और विद्वान II अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रंगा रेड्डी जिले द्वारा दिनांक 02.05.2019 को आई.ए में पारित आदेश को रद्द और रद्द कर दिया है। ओ.एस में 2019 का क्रमांक.108। 2018 का क्रमांक.537 जिसके द्वारा विद्वत ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद को खारिज कर दिया (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) ओ.एस को मूल प्रतिवादी। 2018 की संख्या. 537 ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 कि वाद अनुसूची संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक.1 को यहां उपहार में दी गई थी-मूल वादी अपनी पैतृक दादी (प्रतिवादी क्रमांक.2 यहां और ओ.एस में मूल प्रतिवादी) द्वारा अपने

अल्पसंख्यक के दौरान। 2018 का नंबर. 537) दिनांक 13.02.2003 को पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से। कि कथित उपहार निपटान विलेख को प्रत्यर्थी संख्या. 1 की दादी द्वारा दिनांक 10.12.2004 के उपहार विलेख के प्रतिसंहरण द्वारा निरस्त कर दिया गया था-मूल वादी। तत्पश्चात, वादी की दादी और इसमें अपीलार्थी-मेसर्स के बीच दिनांक 18.01.2008 का एक रजिस्ट्रीकृत विकास करार-सह-महाशक्ति करार निष्पादित किया गया। श्री सूर्या डेवलपर्स और प्रमोटर-मूल प्रतिवादी क्रमांक.2। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विकास समझौते के तहत दादी 35,000 वर्ग किलोमीटर भूमि की हकदार थीं। कार पार्किंग स्थानों की आनुपातिक संख्या और भूमि में अविभाजित हिस्से के साथ निश्चित बिक्री योग्य सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र।

2.2 प्रतिवादी क्रमांक.1 के पिता-मूल वादी (मूल प्रतिवादी क्रमांक.3 यहाँ और प्रतिवादी क्रमांक.3 ओ.एस में। 2018 का क्रमांक.537) ने ओ.एस होने का मुकदमा दायर किया। दिनांक 10.04.2004 के उपहार विलेख का प्रतिसंहरण अवैध होने के रूप में और उसमें वादी पर बाध्यकारी नहीं होने के रूप में और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी घोषित करने की मांग करने वाले तत्कालीन नाबालिग प्रत्यर्थी संख्या. 1 के अगले मित्र के रूप में 2015 की सं. 1 750। इसके बाद, ओ.एस के लिए पक्षों के बीच एक समझौता किया गया। समझौता विलेख के माध्यम से 2015 का नंबर. 1750 दिनांक 30.12.2015. समझौते के तहत, यह सहमति व्यक्त की गई थी कि प्रतिवादी संख्या 1-मूल वादी पूरे 35,000 वर्ग मीटर के लिए ए का हकदार होगा। निर्मित क्षेत्र, जिसे विकास समझौते के तहत दादी को आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। समझौता डिक्री के अनुसार आगे यह सहमति बनी कि डेवलपर उक्त विकास समझौते के तहत अर्जित विकास अधिकारों को तीसरे पक्षों को सौंपने का हकदार होगा। समझौते को आगे बढ़ाते हुए, आई.ए. आदेश XXIII नियम 3 सीपीसी के तहत 2016 की संख्या. 31 को समझौता ज्ञापन के साथ दायर किया गया था, जिसमें इसके संदर्भ में डिक्री पारित करने का अनुरोध किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक.1 (प्रतिवादी क्रमांक.3 यहाँ-मूल प्रतिवादी क्रमांक.3) के पिता ने आई.ए. दायर किया। (ख) सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 172 के अधीन कथित वाद में, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या. 1 की ओर से कार्य करने की अनुमति मांगी गई है और ट्रायल कोर्ट ने उसे ऐसा करने की अनुमति दि I

2.3 इसके बाद, समझौता डिक्री आठवें अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, आरआर जिला दिनांक 13.01.2016 द्वारा ओ.एस में पारित की गई। 2015 का सं. 1 750, प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से पिता द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, यहां दादी और अपीलार्थी-डेवलपर। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पश्चात् अपीलार्थी-डेवलपर ने दिनांक 06.04.2016 के समनुदेशन विलेख के अधीन उपर्युक्त विकास करार के अधीन अपने विकास अधिकार प्रत्यर्थी संख्या. 4 को सौंपे और उसी के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या. 4 ने ओ.एस में विषय संपत्ति का विकास करना प्रारंभ कर दिया है। 2018 का नंबर. 537।

2.4 कि बहुमत की आयु प्राप्त करने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यहां ओ.एस होने के कारण वर्तमान मुकदमा दायर किया। 2018 का क्रमांक.537 अपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से वाद अनुसूची संपत्ति और समझौता डिक्री की घोषणा पर अधिकार, शीर्षक और ब्याज की घोषणा के लिए प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने विलेख को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की क्योंकि यह अमान्य है।

2.5 कि वाद के नोटिस के साथ सेवा की गई है, अपीलार्थी ने सभी भौतिक आरोपों से इनकार करते हुए लिखित बयान दायर किया। अपीलार्थी ने आई.ए. भी दायर किया। आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत 2019 की संख्या.108 विभिन्न आधारों पर और मुख्य रूप से इस आधार पर कि सहमति डिक्री/समझौता डिक्री को अलग करने के लिए मुकदमा सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 ए के तहत वर्जित किया जाएगा। निचली अदालत ने दिनांक 02.05.2019 के आदेश में उक्त आई.ए. को अनुमति दी। और इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया कि आदेश XIII नियम 3ए सीपीसी के मद्देनजर, समझौता डिक्री के खिलाफ कोई स्वतंत्र मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

2.6 आदेश VII नियम 11 (घ) सीपीसी के अधीन नियम का प्रयोग करते हुए वाद को इस आधार पर अस्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कि आदेश XXIII नियम 3क सीपीसी के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए समझौता डिक्री के विरुद्ध कोई स्वतंत्र वाद विचारणीय नहीं होगा, मूल वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

2.7 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को अनुज्ञात किया है और वाद को अस्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त और अपास्त कर दिया है और यह मत व्यक्त करते हुए मामले को ट्रायल कोर्ट को प्रतिप्रेषित कर दिया है कि आदेश XXXII नियम 1 से 7 सीपीसी के उपबंधों के प्रभाव पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिसका ओ.एस में दिनांक 13.01.2016 के समझौता डिक्री की वैधता पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। 2015 का क्रमांक.1750।

2.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होते हुए, मूल प्रतिवादी सं. 2 और 4-डेवलपर और उसके असाइग्नी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी-डेवलपर की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसमें कहा गया है कि आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के मद्देनजर, समझौता डिक्री के खिलाफ कोई स्वतंत्र मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश XXIII नियम 3 सीपीसी वाद के समझौते के लिए उपबंध करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1976 में 1976 के अधिनियम संख्या. 104 द्वारा किए गए संशोधन के माध्यम से, नियम 3क अंतःस्थापित किया गया है, जो विशेष रूप से यह उपबंध करता है कि इस आधार पर डिक्री को अपास्त करने के लिए कोई वाद नहीं होगा कि समझौता जिस पर डिक्री आधारित है वह विधिसम्मत नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रत्यर्थी नंबर. 1 द्वारा यहां दायर वर्तमान वाद-समझौता डिक्री को चुनौती देने वाले मूल वादी को आदेश XXIII नियम 3A सीपीसी के तहत वर्जित किया जाएगा और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया।

3.2 यह अपीलार्थी-विकासकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और समनुदेशिती के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि जैसा

कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया गया है, व्यथित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय उसी न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसने समझौता दर्ज किया था। इस न्यायालय के निर्णयों के अधीन बनवारी लाल बनाम चंदो देवी, (1993) 1 एससीसी 581; पुष्प देवी भगत बनाम राजिंदर सिंह और अन्य, (2006) 5 एससीसी 566; होरिल बनाम केशव, (2012) 5 एससीसी 525; आर. राजन्ना बनाम एस. आर. के मामले में रखा गया है। , (2014) 15 SCC 471 और हाल ही में R. जानकीम्मल बनाम S.K. कुमारसामी, (2021) 9 एससीसी 114।

3.3यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में मूल वादी ने पहले ही उसी न्यायालय के समक्ष आदेश XXIII नियम 3A के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसने सहमति समझौता डिक्री पारित की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में मूल वादी ने भी समझौता डिक्री को चुनौती देते हुए पहली अपीलीय अदालत के समक्ष आदेश XIII के तहत पहली अपील दायर की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वादी पहले से ही उसके लिए उपलब्ध अन्य उपायों का लाभ उठा चुका है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वर्तमान मुकदमा कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, समझौता डिक्री पर सवाल उठाने वाला मूल स्वतंत्र मुकदमा आदेश XXIII नियम 3A सीपीसी के मद्देनजर बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

3.4अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी नंबर. 1-मूल वादी ने कई प्रार्थनाओं का मसौदा तैयार करके एक राहत की मांग करते हुए चतुराई से मसौदा तैयार किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी केवल 13.01.2016 के समझौता डिक्री को दरकिनार करना चाहता है, जिसे उसने सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 ए के तहत परिकल्पित वाद से बचने के लिए कई प्रार्थनाओं का मसौदा तैयार करके मांगा है, जो दूसरे शब्दों में केवल चतुराई से मसौदा तैयार करना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वाद का केवल चतुराई से मसौदा तैयार करके निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया गया है, वादी को वाद को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा किसी भी कानून द्वारा बनाए रखने योग्य और/या वर्जित नहीं होगा। इस

न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो न्यायालय इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देगा ताकि फर्जी मुकदमेबाजी शुरुआती चरण में समाप्त हो जाए।

इन मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के अंतरगत. **अरिवंदम बनाम सत्यपाल और अन्र, (1977) 4 एससीसी 467; मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल, (2017) 13 एससीसी 174; केनरा बैंक बनाम पी. सेलाथल और अन्य, (2020) 13 एससीसी 143; और राघवेंद्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिंह, (2020) 16 एससीसी 601।**

3.5 । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने आगे कहा है कि अन्यथा भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरे निर्णय में, उच्च न्यायालय द्वारा वाद की स्थिरता और/या आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी पर किसी भी चर्चा पर कोई चर्चा नहीं की गई है, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने वाद को खारिज कर दिया।

3.6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने आदेश XXXII नियम 1 से 7 सीपीसी पर विचार करते हुए समझौता डिक्री की वैधता पर विचार किया है और उच्च न्यायालय ने आदेश XXXII नियम 7 सीपीसी पर भरोसा करते हुए वस्तुतः निष्कर्ष दिए हैं कि समझौता डिक्री वादी के लिए बाध्यकारी नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को स्वयं को वाद की स्थिरता के लिए संबोधित करना चाहिए था और इस स्तर पर उच्च न्यायालय को समझौता डिक्री की वैधता पर बिल्कुल भी विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.7 समझौता डिक्री की वैधता पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा अन्य प्रस्तुतियों की संख्या की गई है। हालांकि, नीचे बताए गए कारणों के लिए, हम वाद की स्थिरता के संबंध में एकमात्र मुद्दे पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं और इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा समझौता डिक्री की वैधता पर नहीं है, इसलिए, हम समझौता डिक्री की वैधता पर गुणागुण के आधार पर किसी भी प्रस्तुति से निपटने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

4. मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. आदिनारायण राव ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है(s).

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, समझौता डिक्री आदेश XXXII नियम 7 सीपीसी द्वारा प्रभावित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए तुरंत बहुमत प्राप्त करने पर जब प्रत्यर्थी नंबर. 1 यहाँ मूल वादी ने विभिन्न राहतों के लिए एक मुकदमा दायर किया, जो अन्यथा एक ठोस स्वतंत्र मुकदमे में दिया जा सकता है, उच्च न्यायालय ने अभियोग को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

4.2 यह मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, वाद में प्रार्थना की गई राहत न केवल समझौता डिक्री के संबंध में हैं, बल्कि अन्य राहतों की मांग की गई है जिनके लिए एक स्वतंत्र मूल मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार वादी ने समझौता डिक्री को दरकिनार करने का अनुरोध नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जो प्रार्थना की जाती है वह यह घोषित करने के लिए है कि समझौता डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मांगी गई अन्य राहतों के लिए, यह कहा जा सकता है कि आदेश XXIII नियम 3A के तहत एक स्वतंत्र मुकदमा वर्जित नहीं किया जाएगा।

4.3 तथापि, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता-मूल वादी (ओं) इस बात पर विवाद नहीं कर रहा है कि वादी ने पहले ही उसी न्यायालय के समक्ष आदेश XXIII नियम 3क के अधीन आवेदन फाइल कर दिया है, जिसने समझौता डिक्री पारित की थी। वह इस बात पर भी विवाद करने की स्थिति में नहीं है कि उक्त आवेदन में, वादी किसी भी आधार पर समझौता डिक्री की वैधता पर बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है, जो उसे आदेश XXXII नियम 7 सीपीसी के गैर-अनुपालन सहित उपलब्ध हो सकता है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने ओ.एस के वाद को खारिज कर दिया। आदेश VII नियम 11 सीपीसी के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आधार पर कि उक्त वाद आदेश XXIII नियम 3A सीपीसी के अधीन विनिर्दिष्ट बार को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त आदेश को अपास्त कर दिया है और यह देखते हुए मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है कि वाद को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित करते समय ट्रायल कोर्ट ने आदेश XXXII नियम 1 से 7 सीपीसी के प्रावधानों पर विचार नहीं किया था। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के प्रावधानों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और इस पर विचार नहीं किया है और इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि क्या वास्तव में समझौता डिक्री और/या वाद में मांगी गई राहतों को चुनौती देने वाला मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा या नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या समझौता डिक्री पर सवाल उठाने वाला स्वतंत्र मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा या नहीं।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय ने आदेश XXXII नियम 7 सीपीसी के मद्देनजर समझौता डिक्री की वैधता पर विचार किया है। आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के अधीन आवेदन का विनिश्चय करने के स्तर पर, उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस बात पर विचार किए जाने की आवश्यकता थी कि क्या वाद विचारणीय होगा या नहीं और समझौता डिक्री को चुनौती देने वाला वाद आदेश XXIII नियम 3ए सी. पी. सी. के मद्देनजर विचारणीय होगा या नहीं और इस स्तर पर, उच्च न्यायालय/न्यायालय को समझौता डिक्री की वैधता के गुणागुण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

7. अब, जहां तक मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया कि समझौता डिक्री को चुनौती देने वाले एक स्वतंत्र मुकदमे को आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के मद्देनजर वर्जित किया जाएगा, आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के सादे पठन पर, ट्रायल कोर्ट ने वाद को खारिज करने में उचित था। आदेश XXIII नियम

3ए सीपीसी, जिसे 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, निम्नानुसार हैः-**"3ए- इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था।**

8. इसलिए, आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के पठन पर, इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह विधिसम्मत नहीं था। आर. जानकीम्मल के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान प्रश्न पर विचार किया गया इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश XXIII का नियम 3A वाद को इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने से रोकता है कि जिस समझौते पर डिक्री पारित की गई थी वह विधिसम्मत नहीं था। यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई समझौता या समझौता जो स्पष्ट रूप से शून्य या शून्य है, उसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा और नियम 3क के तहत बाधा को आकर्षित किया जाएगा यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी वह शून्य या शून्य थी। इस मामले में, इस न्यायालय को आदेश XXIII नियम 3 के साथ-साथ नियम 3A पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भी इस न्यायालय द्वारा प्रकरण 53 से 57 में निम्नानुसार विचार किया गया हैः -

> "53. आदेश 23 नियम 3 के साथ-साथ नियम 3-ए इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों में विचार के लिए आया था और हमें नियम 3 और नियम 3-ए के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात का पता लगाने के लिए उनमें से कुछ का उल्लेख करने की आवश्यकता है। बनवारी लाल बनाम चंदो देवी, (1993) 1 एस. सी. सी. 581 में, इस न्यायालय ने आदेश 23 के नियम 3 के साथ-साथ नियम 3-ए पर विचार किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम, 1976 का उद्देश्य समझौते को चुनौती देने वाले पक्ष को उस अदालत से सवाल करने के लिए मजबूर करना है जिसने समझौता दर्ज किया है। पैरा 6 और 7 में निम्नलिखित बातें लिखी गई थींः (SCC pp. 584-85)

"6. अदालतों का अनुभव रहा है कि कई अवसरों पर पक्षकारों ने समझौते की याचिकाएं दायर की हैं जिनके आधार पर डिक्री तैयार किए जाते हैं, बाद में किसी न किसी कारण से ऐसे समझौते की वैधता को चुनौती दी जाती है। इस तरह के डिक्री को दरकिनार करने के लिए ऐसे मुकदमे दायर किए जाते थे जो विभिन्न अदालतों में अपील सहित वर्षों तक चले। न्यायालयों और जनता की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, संहिता के आदेश 23 में कई संशोधन किए गए हैं जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा वाद को वापस लेने और उसके समायोजन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। संहिता के नियम 1 आदेश 23 में यह विहित किया गया है कि वाद की स्थापना के बाद किसी भी समय, वादी अपना वाद छोड़ सकता है या अपने दावे के भाग बी को छोड़ सकता है। नियम 1 (3) में यह उपबंध है कि जहां न्यायालय संतुष्ट हैः

(क) कि कोई वाद किसी औपचारिक दोष के कारण विफल होना चाहिए, या (ख) कि वादी को वाद के विषय या दावे के भाग के लिए नया वाद स्थापित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, वह, ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, वादी को नया वाद स्थापित करने की स्वतंत्रता के साथ ऐसे वाद को वापस लेने की अनुमति दे सकता है। नियम 1 (4) को ध्यान में रखते हुए यदि वादी अपना वाद छोड़ देता है या ऊपर निर्दिष्ट अनुमति के बिना ऐसा वाद वापस ले लेता है, तो उसे ऐसे विषय-वस्तु के संबंध में ऐसा कोई वाद स्थापित करने से रोक दिया जाएगा। नियम 3 आदेश 23, जिसमें वाद के समझौते के संबंध में प्रक्रिया शामिल थी, को भी एक समझौता डिक्री को चुनौती देते हुए परेशान करने वाले और lambe मुकदमेबाजी को कम करने के लिए संशोधित किया गया था। न केवल नियम 3 में अदालत द्वारा समझौता दर्ज करने से पहले कुछ विशेष अपेक्षाएं पेश की गई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वैध समझौता या समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, एक स्पष्टीकरण के साथ एक परंतुक भी जोड़ा गया था जो इस प्रकार हैः

'बशर्ते कि जहां एक पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है और दूसरे द्वारा इनकार किया गया है कि कोई समायोजन या संतुष्टि हो गई है, वहां न्यायालय प्रश्न का निर्णय करेगा; लेकिन प्रश्न का निर्णय लेने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसा स्थगन देने के लिए उचित नहीं समझता है।

स्पष्टीकरण -एक समझौता या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के तहत शून्य या शून्य है, इस नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत नहीं समझा जाएगा।

7. स्पष्टीकरण के साथ परंतुक के आलेख में, ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य समझौते को चुनौती देने वाले पक्ष को अदालत के समक्ष उसी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना है, जिसने विचाराधीन समझौते को दर्ज किया था। उस अदालत को इस विवाद पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया था कि क्या पक्षकार कानूनी तरीके से समायोजन पर पहुंचे हैं। स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई समझौता या समझौता जो अनुबंध अधिनियम के तहत अमान्य या अमान्य है, उसे उक्त नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत नहीं माना जाएगा। वाद की बहुलता और लंबे समय तक मुकदमेबाजी से बचने के लिए नियम 3 में स्पष्टीकरण के साथ परंतुक को प्रस्तुत करने के बाद, नियम 3-ए द्वारा एक समझौते के आधार पर एक डिक्री को अलग करने के लिए एक अलग वाद की स्थापना के संबंध में एक विशिष्ट बार निर्धारित किया गया थाः '3-ए-इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था।

54. अगला निर्णय पुष्प देवी भगत बनाम राजिंदर सिंह, (2006) 5 एस. सी. सी. 566, R.V. रवींद्रन, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए आदेश 23 नियम 3 और नियम 3-ए के प्रावधानों को नोट किया और निम्नलिखित शब्दों में पैरा 17 में अपने निष्कर्ष दर्ज किएः (SCC p. 576)

"17. आदेश 23 के संशोधित प्रावधानों से उत्पन्न स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(i) सीपीसी की धारा 96 (3) में निहित विशिष्ट निशेधो को ध्यान में रखते हुए सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं है।

(ii) नियम 1 आदेश 43 के खंड (एम) को हटाने के मद्देनजर समझौता दर्ज करने (या समझौता दर्ज करने से इनकार करने) के अदालत के आदेश के खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं है।

(iii) इस आधार पर समझौता डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई स्वतंत्र मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है कि नियम 3-ए में निहित निशेधो को देखते हुए समझौता वैध नहीं था।

(iv) एक सहमति डिक्री एक रोक के रूप में काम करती है और वैध और बाध्यकारी है जब तक कि इसे उस अदालत द्वारा अलग नहीं किया जाता है जिसने सहमति डिक्री पारित की है, नियम 3 आदेश 23 के परंतुक के तहत एक आवेदन पर एक आदेश द्वारा।

इसलिए, इस तरह की सहमति डिक्री से बचने के लिए सहमति डिक्री के लिए एक पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय, उस अदालत से संपर्क करना है जिसने समझौता दर्ज किया और इसके संदर्भ में एक डिक्री बनाई, और यह स्थापित किया कि कोई समझौता नहीं था। उस स्थिति में, समझौता दर्ज करने वाली अदालत स्वयं ए पर विचार करेगी और इस सवाल का फैसला करेगी कि क्या कोई वैध समझौता था या नहीं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सहमति डिक्री अदालत के अनुमोदन की मुहर के साथ लगाए गए पक्षों के बीच अनुबंध के अलावा और कुछ नहीं है। सहमति डिक्री की वैधता पूरी तरह से उस समझौते या समझौते की वैधता पर निर्भर करती है जिस पर यह किया जाता है। दूसरा प्रतिवादी, जिसने सहमति समझौता डिक्री को चुनौती दी थी, इस स्थिति से पूरी तरह से अवगत था क्योंकि उसने 21-8-2001 को सहमति डिक्री को अलग करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कानून के अनुसार कोई वैध समझौता नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य प्रतिवादियों में से किसी ने भी सहमति आदेश को चुनौती नहीं दी। स्वयं को ज्ञात कारणों के लिए, उसके बाद कुछ दिनों के भीतर (अर्थात् 27-8-2001 को) दूसरे प्रतिवादी ने एक अपील दायर की और अदालत के समक्ष

दायर आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं चुना जिसने सहमति डिक्री पारित की। संहिता की धारा 96 (3) में निहित एक्सप्रेस निशेधो को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रतिवादी द्वारा ऐसी अपील विचारणीय नहीं थी।

55. अगला निर्णय आर राजन्ना बानम एस.आर है। वेंकटस्वामी, (2014) 15 एस. सी. सी. 471 जिसमें आदेश 23 नियम 3 और नियम 3-ए के प्रावधानों पर फिर से विचार किया गया। उपर्युक्त प्रावधानों को निकालने के बाद, इस न्यायालय द्वारा पैरा 11 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः (एस. सी. सी. पृष्ठ 474)

> "11. उपर्युक्त के एक पठन से यह स्पष्ट है कि आदेश 23 नियम 3 के परन्तुक के संदर्भ में जहां एक पक्ष आरोप लगाता है और दूसरा पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित वैध समझौते या समझौते द्वारा किसी वाद के समायोजन या संतुष्टि से इनकार करता है, वह न्यायालय जिसके समक्ष ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, उसी पर निर्णय करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश 23 नियम 3 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, समझौते या समझौते को उक्त नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत नहीं माना जाएगा यदि वह अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत शून्य या अमान्य है। यह इस प्रकार है कि प्रत्येक मामले में जहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित एक वैध समझौता या समझौता किया गया है या नहीं, यह प्रश्न कि क्या समझौता या समझौता वैध है, संबंधित अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना है। वैध समझौते क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आरोप समझौते और डिक्री में किसी भी कमजोरी का सुझाव देते हैं जो अनुबंध अधिनियम के तहत उसी को शून्य या शून्य बना देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश 23 नियम 3-ए स्पष्ट रूप से एक वाद को इस आधार पर एक डिक्री को दरकिनार करने से रोकता है कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे किसी समझौते या समझौते के आधार पर डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष समझौते या समझौते की वैधता से संबंधित कोई प्रश्न जल्द ही नहीं उठाया जाता है, यह केवल वही न्यायालय है जो उस प्रश्न की जांच और निर्धारण कर सकता है। न्यायालय पक्षकारों को इस विषय पर एक अलग मुकदमा दायर करने का निर्देश नहीं दे सकता है क्योंकि

आदेश 23 नियम 3-ए सीपीसी के प्रावधानों को देखते हुए ऐसा कोई मुकदमा नहीं होगा। इस मामले में ठीक यही हुआ है। जब अपीलार्थी ने ओएस नं. समझौता डिक्री की वैधता को चुनौती देने के लिए 2005 का 5326, जिस न्यायालय के समक्ष वाद आया था, उसने प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा वाद आदेश 23 नियम 3-ए सीपीसी के प्रावधानों द्वारा वर्जित था। इस प्रकार वाद को खारिज करने के बाद, प्रतिवादियों (इसमें प्रतिवादियों) को शायद ही यह तर्क देते हुए सुना जा सकता था कि वादी (अपीलार्थी) को ओएस नं. 2005 का 5326 और यदि वाद में वाद को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध उसके उपचार को आगे बढ़ाने के लिए अस्वीकार कर दिया गया है।

56. पुष्पादेवी पुष्पादेवी भगत बनाम राजिन्दर सिंह, (2006) 5 एस. सी. सी. 566] के साथ-साथ बनवारी लाल बनवारी लाल बनाम चंदो देवी, (1993) 1 एस. सी. सी. 581] के निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए थे और उन पर भरोसा किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे किसी समझौते या समझौते के आधार पर डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष समझौते या समझौते की वैधता से संबंधित प्रश्न जल्द ही नहीं उठाया जाता है, यह केवल वही न्यायालय है जो उस प्रश्न की जांच और निर्धारण कर सकता है।

57. बाद के फैसले में, त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह, (2020) 6 एससीसी 629, इस अदालत ने फिर से पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए उसी प्रस्ताव को दोहराया। इस तरह की सहमति डिक्री से बचने के लिए सहमति डिक्री के लिए एक पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अदालत से संपर्क करना है जिसने समझौता दर्ज किया और अलग मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। पैरा 17 और 18 में निम्नलिखित बातें लिखी गई हैं: (SCC p. 638)

"17. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू तिथि. 1-2-1977, विधायिका ने आदेश 23 नियम 3-क को प्रवृत्त किया है, जो इस आधार पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद को संस्थापित करने के लिए बार बनाता है कि समझौता जिस पर डिक्री आधारित है वह विधिसम्मत नहीं था। पक्षों के बीच समझौता करने का उद्देश्य सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न विवादों को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त करना है।

18. निर्णयों की अंतिमता सभी निर्णय मंचों का एक अंतर्निहित सिद्धांत है। इस प्रकार, आगे मुकदमेबाजी का निर्माण कभी भी पक्षों के बीच समझौते का आधार नहीं होना चाहिए। नियम 3-ए आदेश 23 सी. पी. सी. ने एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाया कि कोई भी मुकदमा इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह विधिसम्मत नहीं था। आदेश 23 नियम 3 सी. पी. सी. की योजना मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने और पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से एक ऐसे समझौते पर आने की अनुमति देने के लिए है जो विधिसम्मत, लिखित और पक्षों की ओर से एक स्वैच्छिक कार्य है। अदालत एक सहमत समझौते को प्रभावी बनाने और उसी के साथ अंतिमता जोड़ने में सहायक हो सकती है। अदालत को कभी भी एक अनिच्छुक पक्ष पर समझौता थोपने के लिए पक्षकार नहीं होना चाहिए, फिर भी अदालत के समक्ष आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान के तहत एक आवेदन पर पूछताछ के लिए तैयार है।

कि उसके बाद यह विशेष रूप से देखा जाता है और माना जाता है कि एक सहमति डिक्री के लिए एक पक्ष के आधार पर एक समझौते के आधार पर समझौता डिक्री को इस आधार पर चुनौती देने के लिए कि डिक्री वैध नहीं था, यह शून्य या शून्य था एक ही अदालत से संपर्क करना है, जिसने समझौता दर्ज किया और सहमति डिक्री को चुनौती देने वाला एक अलग मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं माना गया है।

9. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट इस आधार पर वाद को अस्वीकार करने में पूरी तरह से न्यायोचित था कि समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए मांगी गई राहत के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

10. अब, जहाँ तक वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि वाद में वादी ने समझौता डिक्री को अलग करने के लिए विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया है और जो प्रार्थना की गई है वह यह घोषणा करना है कि समझौता डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है और अन्य राहतों के लिए मांगी गई है, मुकदमा वर्जित नहीं होगा और फिर भी मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10.1. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1977 से निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल एक चतुर मसौदा वादी को वाद को बनाए रखने योग्य बनाने की अनुमति नहीं देगा जो अन्यथा बनाए रखने योग्य और/या कानून द्वारा वर्जित नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो न्यायालय इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देगा ताकि फर्जी मुकदमेबाजी शुरुआती चरण में समाप्त हो जाए।

10.2 **टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. के मामले में सत्यपाल, (1977) 4 एस. सी. सी. 467**, यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता है;-"5. हमें बार-बार और बिना पश्चाताप के अदालत की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता की निंदा करने में जरा भी संकोच नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय में पाए गए तथ्यों के कथन से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रथम मुन्सिफ न्यायालय, बैंगलोर के समक्ष अब लंबित वाद, वादपत्र प्राप्त करने में कानून की दया का घोर दुरुपयोग है। विद्वान मुन्सिफ को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादी के सार्थक-औपचारिक नहीं-पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निरर्थक है, तो मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में, उसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो गया है। और, यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो आदेश

10 सीपीसी के तहत पक्षकार की खोजपूर्वक जांच करके पहली सुनवाई में ही इसे समाप्त कर दें। एक सक्रिय न्यायाधीश गैर-जिम्मेदार कानूनी मुकदमों का जवाब होता है।

10.3 **राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत महल कलां, (1986) 4 एस. सी. सी. 364** के मामले में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि जब वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो वादी को चतुराई से प्रारूपण के माध्यम से उस उपबंध को दरकिनार करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है ताकि उन परिस्थितियों के उल्लेख से बचा जा सके जिनके द्वारा वाद परिसीमा की विधि द्वारा वर्जित है।

11. यदि हम स्वामित्व की घोषणा, अधिकार की वसूली, उपहार विलेख के निरसन, डी. जी. पी. ए. के लिए घोषणा और समनुदेशन-सह-डी. जी. पी. ए. की राहत पर विचार करते हैं, तो उक्त राहत केवल तभी दी जा सकती है जब समझौता डिक्री दिनांक 13.01.2016 ओ.एस में पारित हो। 2015 का क्रमांक.1750 अलग रखा गया है। इसलिए, इस तरह के कई राहतों को पूछकर, वादी चतुराई से मसौदा तैयार करके अपने मुकदमे को बनाए रखने योग्य बनाना चाहता है, जो अन्यथा समझौता डिक्री पर सवाल उठाने योग्य नहीं होगा। उपरोक्त सभी राहतें पहले के मुकदमों की विषय वस्तु थीं और उसके बाद भी ओ.एस की विषय वस्तु थीं। 2015 का सं. 1750 जिसमें समझौता डिक्री पारित किया गया है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्तमान रूप में और मांगी गई राहतों के लिए वाद को आदेश XXIII नियम 3ए सीपीसी के तहत वर्जित किया जाएगा और इसलिए विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने समझौता डिक्री की वैधता के गुणागुण में इस आधार पर प्रवेश करके उक्त आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की है कि यह आदेश XXXII नियम 7 सीपीसी द्वारा प्रभावित था, जो आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के इस चरण में अनुज्ञेय नहीं था और एकमात्र मुद्दा जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता थी वह यह था कि समझौता डिक्री को चुनौती देने वाला मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा या नहीं।

12. जैसा कि ऊपर देखा गया है और यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल वादी ने पहले ही संबंधित न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसने आदेश XXIII नियम 3A सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करके समझौता डिक्री को दरकिनार करते हुए डिक्री पारित की है, इसलिए उक्त आवेदन का निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए और निपटान किया जाना चाहिए जिसमें सभी बचाव/विवाद जो समझौता डिक्री की वैधता पर संबंधित पक्षों को उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें संबंधित अदालत द्वारा कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर जाना होगा।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने अपील की अनुमति दी और दूसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रंगा रेड्डी जिले द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और आई.ए. में 02.05.2019 को पारित किया। नं. ओ.एस में 2019 का 108. 2018 का क्रमांक.537 इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.05.2019 में आई.ए. ओ.एस में 2019 का क्रमांक.108। नं. वाद को अस्वीकार करते हुए 2018 का 537 एतद्द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि हमने समझौता डिक्री की वैधता पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और उसी पर उस न्यायालय द्वारा निर्णय और विचार किया जाना चाहिए जिसने आदेश XXIII नियम 3A सीपीसी के तहत एक आवेदन में डिक्री पारित की, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है मूल वादी द्वारा दायर किया गया है और उक्त आवेदन का निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर किया जाए और समझौता डिक्री की वैधता पर संबंधित पक्षों को उपलब्ध होने वाली दलीलें/बचाव पक्ष को कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर संबंधित न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए खुला रखा जाए। वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा समझा जाए I

अपील मंजूर किया गया

वंदना